

1. T. C. e.

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1) OF THE
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, dated 1-5-84

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

No. 5779 (F.No.261/7/84-ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Surtax or Interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in columns (2) and (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clause (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of Section II of Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and sub-section (1) of section 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the Provisions of clause(i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

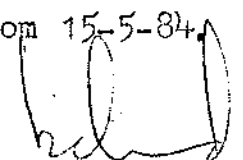
SCHEDULE

CIT(A) Charges with H.Q.s.	Income-tax Wards/ Circles/Districts	Ranges of Inspecting Asstt. Commissioners of Income-tax
1	2	3
CIT(A) Central-I, Bombay	ITOs Central Circles I to XIV and XXIX to XXXIV	IAC Central Ranges I, II, III & VII
CIT(A) Central-II, Bombay	ITOs Central Circles XV to XXVIII and XXXV to XXXVIII	IAC Central Ranges IV, V, VI, VIII

Whereas an Income-tax Circle, Ward, District or part thereof stands transferred by this notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals)

of the charge from when the Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred shall from the date of this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 15-5-84.



(KALYAN CHAND)

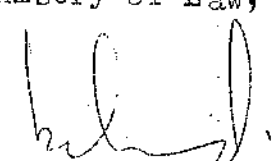
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to :

1. The Commissioner of Income-tax, Bombay.
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay.
3. The A.D.I. (R.S. & P) (Bulletin), New Delhi.
4. A.D. VI Section/ED Section.
5. The Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Sashtri Bhavan, New Delhi.



(KALYAN CHAND)

Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1984

अधिसूचना

आयकर

सं० 5779 (फासं० 261/7/84-आ०क०न्या०): आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलक्षण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के आयकर आधुक्त (अपील), अनुसूची के स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वाडों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर या अतिकर या ब्याज कर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के तारे में, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के अण्ड (क) से (ज), कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) तथा ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यापित हुए हैं, और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की वावत भी, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के अण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें, कार्य का निर्वहण करेंगे।

अनुसूची

आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड/ परिमण्डल/ जिले	निरीक्षी सहायक आयकर अयुक्तों के रेंज
1	2	3
आयकर आयुक्त(अपील), सैण्ट्रल- I, बम्बई ।	आयकर अधिकारियों के सैण्ट्रल परिमण्डल । से x I V और xx Ix से xxx I V तक	नि०स० आयुक्त, सैण्ट्रल रेंज I, II, III तथा V II
आयकर आयुक्त(अपील), सैण्ट्रल-II, बम्बई	आयकर अधिकारियों के सैण्ट्रल परिमण्डल x V से xx V III और xxx V से xxx V III तक	नि०स० आयुक्त सैण्ट्रल रेंज IV, V, VI तथा V III

यतः कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार-क्षेत्र में अन्तर्गत हो जाता है, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस अधिकार-क्षेत्र के, जिससे वह आयकर परिमण्डल वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अंतर्गत किया गया हो, आयकर आयुक्त(अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व विद्यमान पड़ी अपीलें, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस अधिकार-क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) को अंतर्गत की जाएगी और उसके द्वारा उनपर कार्यवाही की जाएगी, जिसको उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला या उसका कोई भाग अंतर्गत हुआ है ।

यह अधिसूचना 15 मई, 1984 से लागू होगी ।

(कल्याण चन्द)

अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित ।

* शर्मा *